

Handwritten signature and name at the top right.

Handwritten text at the top left.

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle right section.

शेखावाटी को भ्रूणक लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद सीधे किया जाकर पालना

Handwritten text in the lower middle left section.

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

Handwritten text in the lower middle right section.

| | | | |
|--|--|--|--|
| शेखावाटी | शेखावाटी | शेखावाटी | शेखावाटी |
| 222 (गंमा) | 222 (गंमा) | 222 (गंमा) | 222 (गंमा) |
| वर्तमान प्रविष्टि | वर्तमान प्रविष्टि | वर्तमान प्रविष्टि | वर्तमान प्रविष्टि |
| खाला संख्या | खाला संख्या | खाला संख्या | खाला संख्या |
| आदेश (शुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि) |
| जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है। | जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है। | जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है। | जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है। |

खाला प्रदान पत्र एवं पत्रवाही व भू.अ.न. की रिपोर्ट तथा शेखावाटी की अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सीकर व शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी में खाला संख्या 222 (गंमा) 222 (गंमा) में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को खाला जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

:- आदेश :-

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर) के म/क अदालत/कैम कोर्ट के म/क